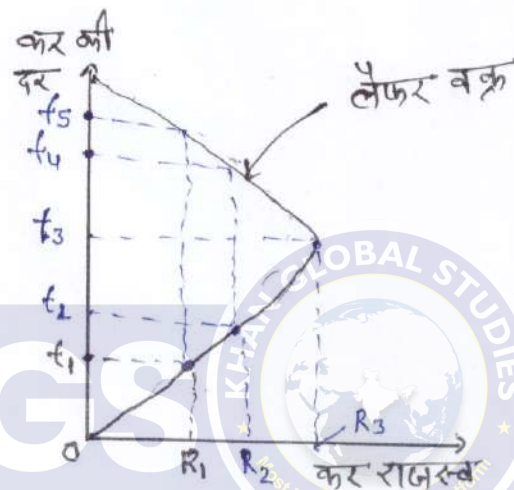


--- प्रत्यक्ष कर ---

प्रत्यक्ष कर लगाते समय यह देखना आवश्यक है कि उनकी दर उचित हो। ध्यान देने योग्य है कि कर की दर को लगातार बढ़ाने से राजस्व बढ़ने की बजाय कम होने लगता है। इस संदर्भ में निम्न चित्र पर विचार लिया जा सकता है।



उपर्युक्त चित्र को देखने से पता लगता है कि जैसे-जैसे शुरूआत में कर की दर को बढ़ाया जाता है तो राजस्व भी बढ़ता है लेकिन यह कर की t_3 दर तक होता है। यदि इसके बाद भी कर की दर को बढ़ाया जाता है तो राजस्व कम होने लगता है।

अन्य बातों के अलावा, इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि कर की अधिक ऊँची दरों पर लोग काम (work) के बजाय आराम (Leisure) को अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं। इसके कारण लोगों की आय कम होने लगती है और कर राजस्व भी कम होने लगता है।

⇒ पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts)

- सरकार जो मिलने वाली ऐसी माय जिसे प्राप्त करने के लिए या तो सार्वजनिक सम्पत्तियों को बिक्री करना पड़े या सार्वजनिक देयताओं को बढ़ाना पड़े। इसको मुख्य उपाकरण निम्नलिखित हैं-

1- विनिवेश (Disinvestment)

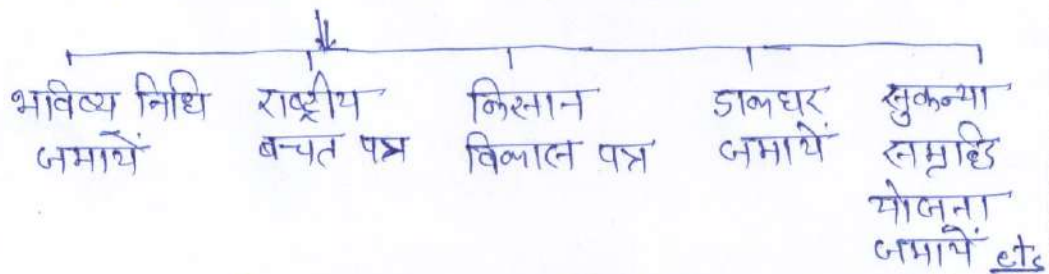
↳ सरकारी उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचना।

2- ऋणों की वसूली (Recovery of Loans)

3- बाजार से उधार (Market Borrowings)



4- अन्य देयताएँ : मूल्य बचत संग्रहण



Note- 1- उपर्युक्त पूंजीगत प्राप्तियों में 1 और 2 को NDCR (Non-Debt Capital Receipts) कहा जाता है।

२- आन्तरिक बाजार से उधार लेने के लिए RBI, भारत सरकार की ओर से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ (Dated G-Sec) - Govt-Securities जारी करता है।

रख वर्ष से अधिक की समयावधि की G-Sec को दिनांकित G-Sec कहा जाता है।

⇒ सरकारी खर्च

राजस्व खर्च

पूँजीगत खर्च

राजस्व खर्च (Revenue Expenditure)

- ऐसे खर्च जिन्हें न तो सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण होता है और न ही सार्वजनिक देयताएँ जम होती हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं-

- (i) व्याज भुगतान
- (ii) वेतन और पेंशन
- (iii) सब्सिडी
- (iv) बिलानों के ऋणों को माफ करना आदि।
- (v) अनुदान (Grants)

पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure या Capex)

- खेले खर्च जो या तो सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण करते हैं या सार्वजनिक देयताओं को कम करते हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं।-

- 1- राष्ट्रीय राजमार्ग, स्‍य‍रपोर्ट आदि सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण।
- 2- ऋणों का पुनर्भुगतान (Repayment of Loans)
- 3- राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों आदि को ऋण देना आदि।

⇒ भारत में सार्वजनिक खर्च का नया वर्गीकरण:-

⇒ इसे 2014-18 में लागू किया गया था। इसे रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है।

